information, all the books, will be available there. So, this is an integrated approach which will take care of it. As regards the area that you have mentioned, we are already working on several places in Goa and Maharashtra.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, coming back to the main question, which is 'visa-on-arrival' scheme, as the hon. Minister may be aware, the Standing Committee on Transport and Tourism had also strongly recommended, in its Report on the Demands for Grants last year, that this should be expedited. I understand, you have said, it is because of the security environment that this can't be looked into. Sir, I believe, for Mumbai and Delhi, this scheme is being introduced for a limited number of nationalities. So, supplementing what Mr. Reddy has been saying, I would like to know—this is part (a) of my supplementary—whether the Ministry will try—I want Mr. Jagmohan's influence, his own personal touch, on it—to extend this limited number of nationalities further. What is the exact number of nationalities? How many tourists are going to be covered by this? I would like to have the specific figures. And, part (b) of my supplementary is: Why is it that it has been introduced only at Mumbai and Delhi? I feel, Kolkata and Chennai should not have been forgotten. So, I would like to know whether the Minister would kindly reconsider this and introduce it in all the four metropolitan cities. This, I think, will give more justice to all of us.

SHRI JAGMOHAN: Sir, I have, in a sense, answered this question. This scheme was introduced, as an experimental measure, in the two cities of Mumbai and Delhi. Ultimately, we will take it to Kolkata also; we will take it to other cities also. It is only as an experimental measure that we said that they should do it in two days. (*Interruptions*) Yes, we will take it to the other two metropolitan cities also, if necessary. The only point is that there has to be security clearance. About 90 per cent of the arrivals from outside are in these two cities. Therefore, we chose them as experimental stations. But we will certainly take them to Kolkata.

ग्रंथालय विकास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को अनुदान

*682. **श्री मोतीलाल वोहरा:** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से ग्रंथालय विकास योजना के तहत राज्य-स्तरीय ग्रंथालय के लिए अतिरिक्त अनुदान हेतु कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आवश्यक आदेश कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए संशोधित कार्य योजना प्रस्तुत करें। इसी बीच वर्ष 2000-2005 की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक पुस्तकालयों के संस्तुत कुल 370 लाख रुपए के अनुदान में से सरकार ने वर्ष 2000-2001 के लिए 'आन अकाउन्ट' अनुदान के रूप में 37.20 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की है। राज्य सरकार को अनुदान की और राशि, राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति से विधिवत् अनुमोदित संशोधित कार्ययोजना प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त की जाएगी।

Grant for Chhattisgarh under Library Development Scheme

†*682. SHRI MOTILAL VORA: Will the Minister of TOURISM AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received a demand for additional grant for State level library under the Library Development Scheme from the Government of Chhattisgarh;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when necessary orders in this regard will be issued by the Government?

THE MINISTER OF TOURISM AND CULTURE (SHRI JAGMOHAN): (a) to (c) Government of Chhattisgarh has requested Ministry of Finance, Government of India for grant for development of Public Libraries in terms of recommendations of the Eleventh Finance Commission. State Government of Chhattisgarh has been advised to furnish a revised action plan for Public Libraries conforming to the guidelines laid down by the Eleventh Finance Commission. Meanwhile, as against the total recommended grant of Rs. 370 lakhs in respect of Public Libraries in Chhattisgarh for the period 2000-2005, the Government has released an "On Account' grant of Rs. 37.20 lakhs during 2000-2001. Further grant will be released to the State Government by the Union Finance Ministry on receipt of revised action plan duly approved by State Level Empowered Committee.

†Original notice of the question was received in Hindi.

SHRI MOTILAL VORA: Mr. Chairman, Sir, the grant for the period 2000-2005 is Rs. 3.70 crores. What is the proposal with the Government for the period after 2005, because the Eleventh Finance Commission has given the report for the period 2000-2005? Has the Government thought over the point whether these public libraries will continue after 2005? Is there any proposal with the Government of India to take steps for the period after 2005? Secondly, this grant is meant for the period 2000-2005. I would like to know from the hon. Minister, as to when this grant was released, on what date this grant was released.

SHRI JAGMOHAN: Sir, so far as the first part of his question is concerned, the Eleventh Finance Commission has made certain recommendations for the five-year period. As you know, it is a constitutional provision, and these are the statutory recommendations that the Government of India has accepted. In accordance with those recommendations, the State Governments have been informed that they are entitled to have a grant of Rs. one crore per State, plus Rs. 20 lakhs per month, per district, depending on the number of districts. So, the undivided State of Madhya Pradesh got Rs. 13.75 crores, according to this formula. About Rs. 9 crores went to Madhya Pradesh; Rs. 3.70 crores went to Chhattisgarh. Now, Chhattisgarh has to have a corpus. You know, this scheme is just to help the State Governments in augmenting their library facilities, and, for that purpose the Eleventh Finance Commission has given this one-time grant for this corpus. They are supposed to set up this corpus, and, from the interest earned on that corpus, the State Governments are required to purchase books for their libraries in their States. This is one scheme. After 2005, there will be another Finance Commission which will make its recommendations. So, it will depend on the recommendations of that Finance Commission.

Then, we have got other schemes also. This is a grant being given, on the recommendations of the Finance Commission. Apart from this, we have general public library schemes. We give about Rs. 10 crores every year to the Raja Rammohan Roy Foundation. The Raja Rammohan Roy Foundation gets the proposals from the State Library Boards, and then, it approves a certain number of books to be purchased; all State Governments are entitled to purchase books from their State Library Boards, and the money is available.

In addition to that, we can also give money for matching grants, non-matching grants. We have got a number of schemes. For example, for Children Corner, we can give without any matching grant. So, there are schemes available, apart from the Finance Commission recommendations. If the Chhattisgarh Government sends any proposal to us, we would be very happy to help them.

SHRI MOTILAL VORA: Sir, the revised memorandum has already been sent to the Ministry by the Chhattisgarh Government because the amount which has been released is only Rs. 37.20 lakhs. This is for the year 2002 and the grant is only Rs. 37.20 lakhs. The revised plan has also been submitted to the Ministry concerned. I would like to know from the hon. Minister, as you have received the revised plan, when are you going to release the second instalment. The first instalment has been released. The revised memorandum has already been submitted. I have got a copy of that memorandum with me.

SHRI JAGMOHAN: I think I need to explain it once agin. The recommendation of the Finance Commission was to give this Rs. 3.7 crores to set up a corpus, and not to spend it immediately. The State Government has not agreed with the proposal to set up a corpus so far. The Finance Ministry has written to them to kindly set up a corpus and fulfil the other portion of the guidelines. As soon as they do so, the entire Rs. 3.7 crores would be given to them at one go. This Rs. 37.20 lakhs which the hon. Member is referring to is an on account of grant given to them for the year, as per the recommendation of the Finance Commission.

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश का भी उल्लेख किया और उससे भी आगे बढ़ करके एक आपने कृपा की, एक विशेष काम किया कि आपने हम सभी संसद् सदस्यों को पत्र लिख करके यह कहा है कि वाचनालयों के विकास में एमपीलैड से भी हम कुछ न कुछ दें। एक तो उस पत्र का जब हम वहां पर जा करके कुछ उपयोग करना चाहते हैं तो क्या वाचनालय भवन बनाने में भी आप सहयोग चाहते हैं, अभी इसके लिए सरकार पैसा देती है और दूसरा पुस्तकों की खरीद के बारे में आपके मापदंड क्या हैं? इन दोनों बातों को यदि आप स्पष्ट कर देंगे तो कई जगह सुविधा हो जाएगी, तथा सरकार की इस मामले में नीति क्या है, खास कर पुस्तकों की खरीद के मामले में आपके मापदंड क्या हैं?

श्री जगमोहन: महोदय, यह जो लैटर लिखा गया है, मे आई एक्सप्लेन द बैकग्राउंड, ऐसा है कि जितनी भी लायब्रेरी मूवमेंट हैं, वह बहुत कम ही हैं। लायब्रेरीज़ की जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, उसके हिसाब से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वह यह है कि हर 3 हजार पर्सज़ के पीछे एक लायब्रेरी होनी चाहिएं, इस यॉर्डस्टिक के मुताबिक हमें इस देश में 3 लाख 30 हजार लायब्रेरीज़ सैट अप करनी चाहिएं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 60 हजार पब्लिक लायब्रेरीज़ हैं और उनमें से 90 परसेंट तो रीडिंग रूम्ज ही हैं। इसलिए लायब्रेरी मूवमेंट की बहुत कमी होने की वजह से मैंने यह इनीशिएटिव लिया था और हरेक मैंबर ऑफ पार्लियामेंट को पत्र लिखा था कि आप अपने कंस्टीटूएंसी फंड से 15 से 20 लाख के करीब इस परपज़ के लिए खर्चिये। इससे आपके कंस्टीटूएंट्स को भी फायदा हो जाएगा और लायब्रेरी मूवमेंट भी चल पड़ेगी और जो एडल्ट लिटरेसी मिशन है उसका भी कोई मतलब रहेगा

कि लोग पढ़ते रहेंगे तथा जो पढ़ा है उसे भूलेंगे नहीं, तो उस परपज़ से चिट्ठियां लिखीं थीं। आपने भी मुझे लिखा है जो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, जहां कंस्टीटूएंसी फंड से पैसे रिलीज़ होते हैं वहां से कोई रेस्ट्रिक्शन है कि किताब ही खरीद सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग बना सकते हैं या नहीं, वह मैंने उनसे सेपरेट्ली टेक अप किया है, उसकी परमिशन जरूर आपको मिल जाएगी, जो भी खर्चना चाहेगा, लायब्रेरी बिल्डिंग के लिए खर्चना चाहे, रिपेयर के लिए खर्चना चाहे या बुक्स खरीदने के लिए खर्चना चाहे या ऑगमेन्टेशन के लिए खर्चना चाहे, उसकी मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई परमिशन आपको मिल जाएगी और यह सब्स्टयूशन नहीं है, यह एडीशन है। जो आलरेडी फैसिलिटीज़ हम देते हैं यह उसके अलावा है। राजा राम मोहन फाउंडेशन का जो मैंने अभी जिक्र किया है वह तो मिलने हैं, यह उसके अलावा है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ग्रंथालयों का किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन इस बात को जहन में रखते हुए भी यथार्थ में हम इसको भूलते जा रहे हैं। और यही कारण है कि अभी मंत्री महोदय ने खुद स्वीकारा कि जितनी आवश्यकताएं हैं उतनी पूरी नहीं हुई हैं यानी कि ग्रंथालयों/वाचनालयों को एक जन-आंदोलन का रूप देने में हमारी सरकार बिल्कुल असमर्थ रही है। मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से कहना चाहती हूं कि हमारे देश की पुस्तकों की जो दुर्लभ विरासत है,जो दुर्लभ पुस्तकें हैं, वह लगातार खत्म होती जा रही है। हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं और मैं ऐसे लोगों को जानती हूं जो अपनी किताबों को लेकर दर-दर घूम रहे हैं कि हमारी किताबों को कहीं रखवा दें या कोई सरकार ले ले, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, चाहे प्रेमचंद की विरासत हो या देश के दूसरे महान साहित्यकारों की विरासत हो, ऐसी अनगिनत पुस्तकें हैं जो हमारे सामने आई नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि उन दुर्लभ पुस्तकों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आप ने जो नई पर्यटन नीति बनाई है, उस के अंतर्गत कोई प्रावधान हैं और चूंकि आप संस्कृति के भी इनचार्ज हैं, इसलिए मैं आप से यह भी जानना चाहती हूं कि आप इस विश्वविद्यालय को एक आंदोलन का रूप देते हुए आम जनता तक किस तरह ले जाएंगे क्या आप इस कार्य को विशेष तरजीह देंगे? सभापति महोदय, आजकल तो राज्य सरकारों के पास वैसे ही फंड नहीं है, इसलिए केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है। आप पुस्तक वर्ष घोषित करते हैं, लेकिन पुस्तकों पर पैसा बढ़ाया जाता है। इसलिए मेरा आप से सीधा-सीधा सवाल है कि वाचनालयों को जन-आंदोलन का रूप देने के लिए क्या आप विभिन्न राज्य सरकारों से मशविरा कर के कोई योजना बना रहे हैं और नए वर्ष में क्या आप के पास जो हमारी दुर्लभ विरासत है, उस का अध्ययन करने के लिए आप कोई शोध संस्थान बनाएंगे कि हमारी कौन-कौन सी पुस्तकें विलुप्त हो रही हैं? क्या उनके संबंध में आप कोई नई योजना ला रहे हैं?

श्री जगमोहन: सभापति महोदय, एक तो माननीय सदस्या ने कहा कि इस गवर्नमेंट से नहीं है। ऐसा नहीं है, यह पहले से चल रहा है। इस गवर्नमेंट ने तो नए इनीशिएटिव लिए हैं।

दूसरी बात आप ने जो कही, उसी को मद्देनजर रखकर हमने एक नेशनल लायब्रेरी मीट बुलाई थी और उसमें इंडिया के सारे रिकॉग्राइज्ड लायब्रेरियंस को बुलाया था। उन की पूरी रिकमंडेशंस को लेकर हम इस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रयास का यह नतीजा है कि मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को रिक्वैस्ट की है कि आप भी इस में शामिल हों। सभापति महोदय, इस तरह इस कार्य को एक मास मूवमेंट बनाने का यह आइडिया है और हमने परसों ही एक रूरल नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक लायब्रेरीज बनाने का काम शुरू किया है। उस के अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह इलेक्ट्रॉनिक डोर वे बनाकर हर स्टेट की जितनी भी रूरल लायब्रेरीज़ हों, उन्हें उस से कनेक्ट कर दिया जाए so there will be an electronic rural library. जो नई टैक्नॉलोजी है, उस का पूरा फायदा उठाकर all types of information should be available in small towns, as well as, in rural areas. There are four lakh schools libraries also, which are very badly maintained at present. But we are trying to rejuvenate those libraries to make them centres of libraries. In every village, we would like to put one focal point where a library could be set up alongwith the information network of the main library so that if they can't keep all the book there, they can get it from there.

The other point of the question you have put is about some rare books not being published. In fact, there is a library legislation which makes it compulsory for every publisher to send two or four copies to the National Library.

SHRIMATI SARLA MAHESHWARI: They are not getting it. आप का कानून पुराना है, उस में भी संशोधन करिए।

श्री जगमोहन: आप मेरी बात तो सुनिए। उसी को एनफोर्स करने के लिए मैंने सब पब्लिशर्स की एक मीटिंग बुलाई थी और कहा कि आप पूरी इनफॉर्मेशन भेजिए। अगर नहीं भेजेंगे तो आप को डिबार कर देंगे। That is now being enforced vigorously. सभापति महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने हमारी हरेक स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि आप अपना लायब्रेरी लेजिस्लेशन बनाइए, लेकिन सिर्फ 12 स्टेट्स ने यह लेजिस्लेशन बनाया है और बाकी स्टेट्स लायब्रेरी लेजिस्लेशन बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब उसे एनफोर्स मैं क्या करुंगा? इसलिए मेरी आप से रिक्वैस्ट है कि आप अपनी-अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को परसुएड करिए कि वे लायब्रेरी लेजिस्लेशन बनाएं क्योंकि उस मूवमेंट को हम अकेले तो नहीं चला सकते हैं। वह तो हम मिलकर ही करेंगे और अगर वे हाथ बंटाएंगे तो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अगर कोई रेअर बुक है जिसे कोई लेने को तैयार नहीं है तो उसे मेरे नोटिस में लाइए, मैं उस को लगवा दूंगा।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे प्रांत गुजरात के अंदर सूरत में एक लगभग सौ वर्ष पुरानी लाइब्रेरी है जोकि काफी खराब हालत में है। मैं ने उस के रंग-रोगन करने, मरम्मत करने के लिए कहा ताकि और पुस्तकें वहां लाई जाएं। तो मुझे बताया गया कि आप मरम्मत नहीं करवा सकती हैं, नई बनवा सकती हैं। इस तरह मरम्मत व रंग-रोगन करवाने के लिए वहां कोई हिसाब-किताब नहीं दे रहे हैं।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि सांसद कोष में से भी हमको यह कहा जाता है कि आप भवन निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन इसके रख-रखाव के लिए या इसके मरम्मत करवाने के लिए या रंग-रोगन के लिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा तो एमपीलेड स्कीम में से हम किस प्रकार से व्यय कर सकते हैं?

श्री जगमोहन: सभापति जी, इसके दो आस्पेक्ट हैं। एक तो लाइब्रेरी की जो पोजीशन है वह ठीक नहीं है और अगर उसकी रिपेयर करनी है तो यह स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पोन्सिबिल्टी है। अगर स्टेट गर्वनमेंट हमसे कोई हेल्प लेना चाहती है तो We are prepared to look into the old library which you are referring to. मेरे पास कोई रेफरेन्स हो तो मैं जरूर मदद करने की कोशिश करूंगा। Of course, we can act only through the State Government. So far as the MPLADS funds are concerned, as I have already explained, for carrying out repairs, renovation, purchase of books, construction of small libraries, we are requesting the Ministry of Statistics and Programme Implementation to kindly agree with this proposal so that a Member of Parliament can spend between Rs. 15—20 lakhs per year out of his or her fund for purchase of books, improvement of library facilities, creating better infrastructure and giving as much help to the library movement in the country as possible.

आन्ध्र प्रदेश को विश्व बैंक से ऋण

*683. **श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक आन्ध्र प्रदेश सरकार को 250 मिलियन डॉलर का वित्तीय कर्ज दे रह है;

(ख) क्या ब्रिटेन के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.) ने भी किसी अन्य राज्य को वित्तीय कर्ज देने की पेशकश की है;

(ग) क्या सरकार ने इन दोनों को कर्ज देने की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या राज्यों में विदेशी धन के प्रत्यक्ष आगमन से भारत की सम्प्रभुता और एकता को खतरा होगा?